<u>पंजीकृत पावती</u> उल्लंघन पत्र

1/15907/2023





## भारत सरकार Government of India खान मंत्रालय Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines

माखुपुरा औद्यौगिक क्षेत्र, Makhupura Industrial Area, अजमेर — 305002 (राजस्थान) Ajmer- 305002 (Rajasthan)

दिनांक :

28.08.2023

Mine Code: 63RAJ26001

संख्या: E/2675/MCDR-MiFL0Wo/1/2022-AJM-IBM\_RO\_AJM

प्रेषित: माइन एजेंट, खेरातरला वॉलस्टोनाइट खान, मेसर्स वॉलकेम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड,

मसस वालकम इडस्ट्राज ालामटड, ई-102, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर 313 003 (राजस्थान)

Email-upp@wolkem.com, info@wolkem.com

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Kheratarla Wollastonite Mine** (Lease area 49.48 Ha.) located in Udaipur & Pali District of Rajasthan State. महोदय.

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 11.08.2023 by the undersigned in presence of Shri U. P. Pahadiya, Nominated Owner & Director:

Rule	Nature of violation observed in detail
No.	
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved
	Modification in Review of Mining Plan (Approved on 15.02.2022): -
	(1)During the year 2022-23 total 13 bore holes proposed (04 DTH bore holes having 870m & 09
	core bore holes having 1050m) but drilling of 09 core bore holes (01 from Surface & 08 from
	Underground) have not been carried out during the reporting year.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरूद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 03. अत: आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पेंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय,

(डी.आर. गुर्जर) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

## प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित: -

- 1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा) ।
- निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर ।
- 3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सिरोही ।
- 4. रक्षित पत्रावली ।